



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार 6 सितम्बर, 2002

भाद्रपद 15, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1703/सत्रह-वि-1-1(क)-24-2002

लखनऊ, 6 सितम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 पर दिनांक 5 सितम्बर, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2002)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य में न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित एक विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 कहा जाएगा।

संक्षिप्त नाम

परिभाषाएं

2—(1) जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,

(क) 'विद्यापरिषद' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद से है;

(ख) 'घटक महाविद्यालय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था से है;

(ग) 'तकनीकी शिक्षा परिषद्' का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 3 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से है;

(घ) 'दूरस्थ शिक्षा' का तात्पर्य संचार के किसी माध्यम से, यथा प्रसारण, दूर-दृश्य प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, सम्पर्क कार्यक्रम या ऐसे किसी दो या अधिक साधनों के संयोजन द्वारा शिक्षा देने से है;

(ङ) 'शिक्षा सोसाइटी' का तात्पर्य गौतमबुद्ध शिक्षा सोसाइटी, लालबहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ से है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रार आफ सोसाइटी उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रीकृत है;

(च) 'कर्मचारी' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी से है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारिवृन्द भी है;

(छ) 'संकाय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी संकाय से है;

(ज) 'छात्र निवास' का तात्पर्य छात्रों के निवास की किसी ऐसी इकाई से है जो विश्वविद्यालय, या किसी घटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित हो या मान्यता प्राप्त हो;

(झ) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ञ) 'विहित' का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ट) किसी घटक महाविद्यालय के संबंध में 'प्राचार्य' का तात्पर्य घटक महाविद्यालय के प्रधान से है और इसके अन्तर्गत, जहाँ प्राचार्य न हो वहाँ उप-प्राचार्य या प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से है;

(ठ) 'परिनियमों' और 'अध्यादेशों' का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों से है;

(ड) 'अध्यापक' का तात्पर्य आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य या ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिसे विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने या शोध कार्य के संचालन के लिये नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी घटक महाविद्यालय का प्राचार्य भी है;

(ढ) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय से है;

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और इन्फार्मेशन टेक्नालोजी अधिनियम, 2000 में परिभाषित शब्दों और पदों के अपने वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हैं।

अध्याय-दो

विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य

विश्वविद्यालय की
स्थापना

3—(1) शिक्षा सोसाइटी जिसे न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रोन्नत किया जा चुका है, को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

✓ (2) शिक्षा सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा, अर्थात् :-

(क) भूमि के उतने क्षेत्र का अधिग्रहण करेगा जितना राज्य सरकार विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आवश्यक समझती हो;

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का सृजन करेगा;

(ग) विश्वविद्यालय को क्रियाशील बनाने के लिए अवस्थापना और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करेगा;

(घ) प्रथम परिनियमावली और प्रथम अध्यादेश बनायेगा, और

(ङ) ऐसी अन्य शर्तें जैसी विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय।

(3) जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि शिक्षा सोसाइटी ने उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा कर लिया है वहाँ राज्य सरकार शिक्षा सोसाइटी को विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र निर्गत करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्राधिकार प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर शिक्षा सोसाइटी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के नाम से जिला गौतमबुद्धनगर के मुख्यालय पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी।

(5) कुलाधिपति, कुलपति; व्यवस्थापक बोर्ड के सदस्य, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद के सदस्य विश्वविद्यालय में तत्समय इस रूप में पद धारक विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय गठित करेंगे।

(6) उपधारा (4) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना पर शिक्षा सोसाइटी द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए अधिग्रहीत, सृजित, व्यवस्थित या निर्मित और अन्य जंगम और स्थावर सम्पत्तियाँ विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित और उसमें निहित हो जायेंगी।

4—विश्वविद्यालय में घटक महाविद्यालय हो सकते हैं, किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी।

5—विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होगी, अर्थात् :-

(क) विद्या की सभी शाखाओं में शिक्षण की व्यवस्था करना और शोध कार्यों और ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) उपाधियों या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को संस्थित और प्रदान करना;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उन्हें उपाधियों या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं स्वीकृत और प्रदान करना, जिन्होंने,-

(एक) विश्वविद्यालय में या किसी घटक महाविद्यालय में या किसी दूरस्थ शिक्षा के अधीन किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; या

(दो) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में या किसी दूरस्थ शिक्षा के अधीन शोध कार्य किया हो;

(घ) परिनियमों में अधिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद उपाधियाँ या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना;

(ङ) परिनियमों के अनुसार अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, छात्र सहायता वृत्तियाँ तथा पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना,

(च) ऐसी फीस और प्रभार को मांगना और प्राप्त करना जो, यथास्थिति, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायें;

किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

(छ) सूचना प्रौद्योगिकी और सहबद्ध क्षेत्रों में शिक्षा की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था करना;

(ज) छात्रों और कर्मचारियों के लिए पाठ्येतर क्रिया-कलापों की व्यवस्था करना;

(झ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करना;

(ञ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के प्रयोजनार्थ उपकृतियाँ, संदान और दान प्राप्त करना और न्यास और विन्यास की सम्पत्तियों को सम्मिलित करते हुए किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण, धारण, प्रबन्ध और निस्तारण करना;

(ट) छात्र निवासों को संस्थित और अनुरक्षित करना और विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के छात्रों के लिए निवास स्थानों को मान्यता देना;

(ठ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और उनमें अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य सुधार के लिए व्यवस्था करना;

(ड) प्रशासकीय, लिपिक वर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना;

(ढ) अन्य विश्वविद्यालयों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य या सहयोग करना जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करें;

(ण) दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था करना;

(त) अध्यापकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, विचार गोष्ठियाँ और अन्य कार्यक्रम आयोजित करना और उनका संचालन करना;

(थ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में प्रवेश के मानक अवधारित करना;

(द) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को अधिकथित करना;

(ध) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर उधार लेना;

(न) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए तथा आवश्यक ऐसे सभी अन्य कार्य करना, चाहें वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषांगिक हो या न हों।

6—विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए होगा भले ही वे किसी वर्ग, मत या लिंग के

विश्वविद्यालय में सभी वर्गों, मतों और लिंग की पहुँच होगी

हों :

प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये 23 प्रतिशत और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27 प्रतिशत सीट आरक्षित रखेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय द्वारा किसी भी शिक्षण पाठ्यक्रम में परिनियमों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्र प्रविष्टि करने की अपेक्षा है।

छात्रों का निवास

7—ऐसे छात्र से, जो दूरस्थ शिक्षा द्वारा शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है, भिन्न विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र सामान्यतः छात्र निवास में ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन निवास करेगा जैसा अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाय।

अध्याय-तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

8—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :—

विश्वविद्यालय के अधिकारी

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रति-कुलपति;

(घ) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(ङ) कुल सचिव;

(च) वित्त अधिकारी; और

(छ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

9—(1) उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति होंगे।

कुलाधिपति

(2) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा।

(3) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियाँ होंगी जो उसे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा प्रदान की जायं।

(4) कोई मानक उपाधि या विशिष्टता प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अधीन होगा।

(5) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हों, तो उपाधियाँ प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा और वह विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को, अपनी ऐसी शक्तियाँ, जैसी वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

10—(1) कुलपति, उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से पांच वर्ष की अवधि के लिये ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो विहित किये जायं, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

कुलपति

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(क) कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति;

(ख) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, कानपुर;

(ग) औद्योगिक विकास विभाग में राज्य सरकार का, यथास्थिति प्रमुख सचिव या सचिव;

(घ) व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति, जिनमें से एक को व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा समिति के संयोजक के रूप में भी नियुक्त किया जायेगा; और यदि खण्ड (क) (ख) और (ग) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का नहीं है तो इस धारा के अधीन नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कम से कम एक व्यक्ति अनुसूचित जाति से होगा।

(3) समिति योग्यता के आधार पर, कुलपति का पद धारण करने के लिए उपयुक्त तीन व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगी और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक अर्हताओं और अन्य विशिष्टियों को दर्शाते हुए एक संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को अग्रसारित करेगी।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(5) जहां अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह कुलाधिपति और ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को भी देगा जो सामान्य क्रम में उस मामले के संबंध में कार्यवाही करते :

प्रतिबंध यह है कि यदि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा या उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी, किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उस दिनांक से जब उसे ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में विनिश्चय से संसूचित किया जाय, तीन माह के भीतर प्रबन्ध बोर्ड को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त प्रबन्ध बोर्ड, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट, उपान्तरित या उसे उलट सकेगा ।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा अधिकथित किये जायं ।

11—प्रति-कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए की जा सकेगी जो विहित किये जायं ।

12—संकायों के संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए की जा सकेगी, जो विहित किये जायं ।

13—(1) कुल सचिव की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी जैसी विहित की जाय ।

(2) कुल सचिव विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा ।

(3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किये जायं या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों ।

(4) कुल सचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्पक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों ।

14—वित्त अधिकारी कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा जैसी विहित की जाय और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किये जायं या कुलाधिपति, कुलपति या कुलसचिव द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों ।

15—विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा की निबन्धन और शर्तें और शक्तियां और कर्तव्य ऐसी होगी जैसी विहित की जायं ।

अध्याय-चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

16—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :-

(क) व्यवस्थापक बोर्ड;

प्रति-कुलपति

संकायों के
संकायाध्यक्ष

कुल सचिव

वित्त अधिकारी

अन्य अधिकारी

विश्वविद्यालय के
प्राधिकारी

(ख) प्रबन्ध बोर्ड;

(ग) विद्या परिषद्;

(घ) वित्त समिति; और

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाएं।

17—(1) व्यवस्थापक बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :—

व्यवस्थापक बोर्ड और
उसकी शक्तियाँ

(क) कुलाधिपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ख) कुलपति जो सदस्य-सचिव होगा;

(ग) शिक्षा सोसाइटी द्वारा नाम-निर्दिष्ट तीन व्यक्ति, जिसमें से एक अनुसूचित जातियों से व एक नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से होगा;

(घ) औद्योगिक विकास विभाग में राज्य सरकार का सचिव या उसका नाम निर्देशिती जो राज्य सरकार के विशेष सचिव से निम्न श्रेणी का न हो; और

(ङ) दो शिक्षा विद, जिनमें से एक प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा और अन्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नाम-निर्दिष्ट होगा।

(2) व्यवस्थापक बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रशासनिक निकाय होगा और उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होगी, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का यदि वे इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुरूप न हो, पुनर्विलोकन करना;

(ख) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण करना;

(घ) नए या अतिरिक्त परिनियमों को बनाना या प्रथम परिनियमों को संशोधित या निरसित करना;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वीच्छक समापन के संबंध में विनिश्चय करना; और

(च) राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावों को अनुमोदित करना।

(3) व्यवस्थापक बोर्ड समय-समय पर ऐसे अन्तरालों पर जो छः माह से अधिक नहीं होगा, ऐसे समय और स्थान पर जैसा कुलाधिपति उचित समझे, बैठक करेगा।

18—(1) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :—

प्रबन्ध बोर्ड

(क) कुलपति;

(ख) प्राविधिक शिक्षा परिषद का एक नामनिर्देशिती;

(ग) शिक्षा सोसाइटी द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन व्यक्ति, जिसमें से एक अनुसूचित जातियों से और एक नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से होगा;

(घ) विश्वविद्यालय के तीन आचार्य, प्रत्येक भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से, ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से;

(ङ) प्रत्येक संकाय से एक आचार्य, जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा; और

(च) औद्योगिक विकास विभाग में राज्य सरकार का सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न श्रेणी का न हो।

(2) कुलपति प्रबन्ध बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

(3) कुल सचिव प्रबन्ध बोर्ड का सचिव होगा।

विद्या परिषद

(4) प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियाँ एवं कृत्य वही होंगे जो विहित किये जायें।

19. (1) विद्या परिषद में निम्नलिखित होंगे :-

- (क) कुलपति, जो अध्यक्ष होगा ;
- (ख) कुल सचिव, जो सचिव होगा ; और
- (ग) ऐसे अन्य सदस्य जो विहित किये जायें।

(2) विद्यापरिषद विश्वविद्यालय की मुख्य शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी और उनका पर्यवेक्षण करेगी।

वित्त समिति

20—(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे :-

- (क) कुलपति, जो अध्यक्ष होगा ;
- (ख) वित्त अधिकारी ;
- (ग) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य सरकार के विशेष सचिव से अनिम्न श्रेणी का एक अधिकारी ; और
- (घ) ऐसे अन्य सदस्य जो विहित किये जायें।

(2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय निकाय होगी जो वित्तीय मामलों की देखभाल करेगी और इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के अध्याधीन रहते हुए समन्वय स्थापित करेगी और विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों पर सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

अन्य प्राधिकारी

21—विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायें।

रिक्ति के कारण

कार्यवाही का

अविधिमान्य न होना

22—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकारी के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी।

अध्याय—5

परिनियम और अध्यादेश

परिनियम

23—इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, परिनियमों में विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी विषय के लिए उपबन्ध किए जा सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किये जायेंगे :-

- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य सम्पादन की और ऐसी इकाईयों के गठन की जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं की गई हैं, प्रक्रिया ;
- (ख) स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि की संक्रिया ;
- (ग) कुलपति, कुल सचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति की निबन्धन और शर्तें और उनकी शक्तियाँ एवं कृत्य ;
- (घ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की भर्ती की रीति और सेवा की शर्तें ;
- (ङ) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, संकाय के सदस्यों कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों के संकल्प की प्रक्रिया ;
- (च) विभागों और संकायों का सृजन, समापन और उनकी पुनर्संरचना ;
- (छ) अन्य विश्वविद्यालयों या उच्चतर ज्ञान की संस्थाओं के साथ सहयोग की रीति ;
- (ज) मानद उपाधियों को प्रदान करने की प्रक्रिया ;
- (झ) विद्यावृत्तियों और छात्रवृत्तियों की स्वीकृति के संबंध में उपबन्ध ;

(ज) विभिन्न शिक्षण पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या और ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की जिसमें स्थानों का आरक्षण भी सम्मिलित है, प्रक्रिया ;

(ट) विभिन्न शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से प्रभार्य शुल्क ;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, फीस माफी, पदकों और पारितोषिकों को संस्थित करना ;

(ड) पदों के सृजन और समापन की प्रक्रिया ; और

(ढ) अन्य मामले जिन्हें विहित किया जाना हो या जो विहित किये जायें ।

24—प्रथम परिनियम शिक्षा सोसाइटी द्वारा बनाए जायेंगे और इस प्रकार बनाए गये परिनियमों को राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा जो उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अपना अनुमोदन दे सकेगी ।

प्रथम परिनियम कैसे बनाए जायेंगे

25—व्यवस्थापक बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा ।

परिनियम में संशोधन करने की शक्ति
अध्यादेश

26—इस अधिनियम नियमों और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा उनका नामांकन होना और इस रूप में बना रहना ;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम ;

(ग) उपाधियों तथा अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं को प्रदान करना ;

(घ) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदक तथा पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें ;

(ङ) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों सारणीकारों तथा अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और नीति तथा उनके कर्तव्य ;

(च) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं में प्रवेश के लिए ली जाने वाली फीस ;

(छ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें ;

(ज) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना ; और

(झ) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम नियमों या परिनियमों द्वारा अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किये जायें ।

27—(1) प्रथम अध्यादेश शिक्षा सोसाइटी द्वारा बनाया जायेगा और इस प्रकार बनाये गये अध्यादेश राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा जो प्रथम अध्यादेश की प्राप्ति के दिनांक से दो माह के भीतर उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अपना अनुमोदन दे सकेगी ।

प्रथम अध्यादेश

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रथम अध्यादेश के अनुमोदन के संबंध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है वहाँ यह समझा जाएगा कि राज्य सरकार ने प्रथम अध्यादेश को अनुमोदित कर दिया है ।

28—राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यक्षीन रहते हुए, विद्यापरिषद, प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन से, नये या अतिरिक्त अध्यादेश बना सकेगी या अध्यादेशों को संशोधित या निरसित कर सकेगी ।

अध्यादेशों को संशोधित करने की शक्ति

अध्याय—छः

प्रकीर्ण

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

29—(1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसमें प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होंगे।

(3) ऐसे मामलों में अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(4) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील की प्रक्रिया और माध्यस्थम्

30—(1) किसी परीक्षा के लिए कोई ऐसा छात्र या अभ्यर्थी, जिसका नाम यथास्थिति कुलपति या प्राचार्य के आदेश द्वारा या विद्यापरिषद् के संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय की नामावलि से हटा दिया गया हो और जो एक वर्ष से अधिक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने से विवर्जित किया गया हो, वह ऐसे आदेश या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर प्रबन्ध बोर्ड को अपील कर सकेगा जो यथास्थिति कुलपति, विद्यापरिषद् या प्राचार्य के विनिश्चय को पुष्ट, उपान्तरित या उलट सकेगा।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गयी अनुशासनिक कार्यवाही से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद ऐसे छात्र के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा और धारा 29 की उपधारा (2) से (4) तक के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस उपधारा के अधीन किये गये किसी निर्देश पर लागू होंगे।

अपील करने का अधिकार

31—विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य के विनिश्चय के विरुद्ध प्रबन्ध बोर्ड को, ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध बोर्ड ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, पुष्ट, उपान्तरित या उलट सकेगा।

भविष्य एवं पेंशन निधियों

32—विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्याधीन रहते हुए जो विहित की जायं, ऐसी भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा और ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा जैसी वह उचित समझे।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

33—यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

34—जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को, इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन, समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी हो, वहाँ ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी का कोई या समस्त सदस्य या ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हो, जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, सम्मिलित होंगे।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

35—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से वह सदस्य जिसकी रिक्ति की पूर्ति करना हो, चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।

सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिये संरक्षण

36—कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों में से किसी के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई है या की जाने के लिए तात्पर्यित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित नहीं होगी।

37-इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों या परिनियमों में किसी बात के होते हुये भी,— अस्थायी उपबन्ध

(क) प्रथम कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी और उक्त अधिकारी पाँच वर्ष की अवधि के लिये पदधारण करेगा;

(ख) प्रथम कुल सचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी जो तीन वर्ष की अवधि के लिये पदधारण करेंगे;

(ग) प्रथम व्यवस्थापक बोर्ड में ग्यारह से अनधिक सदस्य होंगे जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे और वे तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे; और

(घ) प्रथम प्रबन्ध बोर्ड, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद् का गठन, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा।

38-(1) विश्वविद्यालय कम से कम दस करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, इस निमित्त जारी अधिसूचना द्वारा बढ़ाया जा सकेगा। स्थायी विन्यास निधि

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवेश करने की शक्ति होगी;

(3) विश्वविद्यालय, सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा;

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

39-(1) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :- सामान्य निधि

(क) सभी फीस, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) शिक्षा सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्यय के लिये किया जायेगा।

40-(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :- विकास निधि

(क) विकास फीस, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जाय;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिये किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) शिक्षा सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान;

(ङ) और स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय-समय पर जमा की गई धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

41-धारा 38, 39 और 40 के अधीन स्थापित निधियों को व्यवस्थापक बोर्ड के सामान्य निधि का अनुरक्षण पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अधधीन रहते हुए, ऐसी रीति से, विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय।

वार्षिक प्रतिवेदन

42—(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किया जायेगा और उसे व्यवस्थापक बोर्ड को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) व्यवस्थापक बोर्ड, अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित करेगा।

(3) व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।

लेखा और संपरीक्षा

43—(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र प्रबन्ध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की जिनका वितरण या संदाय किया गया है, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित लेखों में प्राविष्टि की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र की सम्परीक्षा ऐसे सम्परीक्षक द्वारा और ऐसे अन्तराल पर की जायेगी, जैसी विहित की जाये।

(3) सम्परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र की एक प्रति व्यवस्थापक बोर्ड को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा वार्षिक लेखा, तुलनपत्र और सम्परीक्षा प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायेगा और व्यवस्थापक बोर्ड उस पर अपने संप्रेक्षण के साथ उसे राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

44—विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर में प्रविष्टि होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार के लिये साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती हो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

शिक्षा सोसाइटी का विघटन

45—(1) शिक्षा सोसाइटी राज्य सरकार को कम से कम छः माह की लिखित नोटिस देगा यदि कि वह अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है।

(2) उप धारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार शिक्षा सोसाइटी के विघटन के दिनांक से और जबतक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्य क्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी कि नियमों द्वारा विहित की जाय।

शिक्षा सोसाइटी के विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

46—(1) धारा 45 के अधीन उसके प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये उसके प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके किया जा सकेगा।

निर्देश जारी करने की शक्ति

47—राज्य सरकार की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने के लिये अपेक्षित किसी मामले के सम्बन्ध में निर्देश जारी करना; और

(ख) किसी विषय पर परिनियम बनाने के लिये आदेश देना।

48-(1) जहाँ राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय को उसके द्वारा दिये गये किसी निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया है या विश्वविद्यालय के कुप्रबन्ध के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर वह विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर जैसा वह उचित समझे; किन्तु जो एक मास के कम नहीं होगा, कारण बताये कि विश्वविद्यालय का परिसमापन क्यों न कर दिया जाय।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय का परिसमापन

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रथम दृष्टया कुप्रबन्ध या इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या तदधीन जारी किन्हीं निर्देशों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जाँच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जाँच के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, जाँच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को कुप्रबन्ध, इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या उसके अधीन जारी किन्हीं निर्देशों के उल्लंघन के अधिकथन की जाँच करने और रिपोर्ट देने के लिये नियुक्त करेगी।

(4) जहाँ राज्य सरकार के विचार से विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के सम्बन्ध में किसी जाँच के प्रयोजनों के लिये व्यवस्थापक बोर्ड या प्रबन्ध बोर्ड को निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह अधिसूचना द्वारा, यथा स्थिति, व्यवस्थापक बोर्ड या प्रबन्ध बोर्ड को निलम्बित करने का आदेश दे सकेगी और जाँच पूरी होने तक के लिये विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जैसी वह आवश्यक समझे।

(5) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जाँच प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करते समय किसी वाद का और विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात् :-

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर होने के लिये बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना,

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना,

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की माँग करना,

(घ) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना,

(ङ) कोई अन्य मामला जो नियमों द्वारा विहित किया जाय।

(6) यदि जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय में कुप्रबन्ध हुआ है या उसने इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों के किन्हीं उपबन्धों या उनके अधीन जारी किसी निर्देश का उल्लंघन किया है तो वह अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय का परिसमापन करने का आदेश दे सकेगी।

(7) उपधारा (6) के अधीन किसी अधिसूचना को जारी करते समय राज्य सरकार चालू शिक्षण पाठ्यक्रम को समाप्ति तक के लिये विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रशासन के लिये अग्रतर व्यवस्था करेगी।

(8) उपधारा (7) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिये कर सकेगी। यदि विश्वविद्यालय की निधि, विश्वविद्यालय की अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय को पूरा करने के लिये विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का व्ययन कर सकेगी।

(9) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

49-राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

कठिनाईयों को दूर
करना

50-(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी भी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

आज्ञा से,

ए० वी० शुक्ला,

प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, अन्तर्राष्ट्रीय विधि, बौद्ध अध्ययन में वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य और समाज के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित विषयों की दृष्टि से एक विश्वविद्यालय की स्थापना आवश्यक हो गई है, जो विद्या की उक्त सभी शाखाओं में शिक्षण की व्यवस्था और शोध कार्य और ज्ञान के प्रसार के लिए उपबन्ध करेगी। एक ऐसे उत्कृष्ट केन्द्र का सृजन किया जाना प्रस्तावित है जो उच्चतर स्तर की विद्या की सुविधाओं को उपबन्धित और उन क्षेत्रों में शोध और संवर्धन की सुविधाओं को सुनिश्चित करेगी। गौतमबुद्ध नगर को, जहाँ पर उच्चतम स्तर की विभिन्न अव संरचनात्मक सुविधाएँ हैं, गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के नाम से, ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान पाया गया। चूँकि राज्य सरकार के लिए अपने सीमित वित्तीय संसाधनों से ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना करना संभव नहीं था, अतएव यह विनिश्चय किया गया कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्टर्ड गौतमबुद्ध शिक्षा सोसाइटी द्वारा प्रायोजित कर इसे स्थापित किया जाय। इस विश्वविद्यालय की अपेक्षित आवश्यक अवसंरचना के सृजन के उद्देश्य से उक्त सोसाइटी का संवर्धन न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण और बृहत्तर न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा, किया जायगा।

तदनुसार उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 पुरःस्थापित किया जाता है।

No. 1703 (2)/XVII-V-1-1 (KA) 24/2002

Dated, Lucknow, September 6, 2002

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Gautam Buddha Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2002 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 2002) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 5, 2002 :—

THE UTTAR PRADESH GAUTAM BUDDHA UNIVERSITY ACT, 2002

(U.P. Act No. 9 of 2002)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

A

BILL

to establish and incorporate a University sponsored by the New Okhla Industrial Development Authority and the Greater Noida Industrial Development Authority in the State and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER-I

Preliminary

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Gautam Buddha University Act, 2002. Short title
2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,— Definitions
 - (a) “Academic Council” means the Academic Council of the University;
 - (b) “constituent college” means a college or institution maintained by the University;
 - (c) “Council for Technical Education” means the All India Council for Technical Education established under section 3 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 ;
 - (d) “distance education” means imparting of education through any means of communication such as broadcasting, telecasting, correspondence course, seminar, contact programme or a combination of any two or more such means;
 - (e) “Education Society” means the Gautam Buddha Education Society, Lal Bahadur Shastri Bhawan, Uttar Pradesh Secretariat, Lucknow registered with the Registrar of Societies, Uttar Pradesh under the societies Registration Act, 1860;
 - (f) “employee” means an employee appointed by the University and includes teachers and other staff of the University or a constituent college;
 - (g) “faculty” means a faculty of the University;

classes of citizens specified in Schedule I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;

(j) "prescribed" means prescribed by the Statutes;

(k) "principal" in relation to a constituent college means the head of the constituent college and includes, where there is no principal, the vice-principal or any other person for the time being appointed to act as principal;

(l) "Statutes" and "Ordinances" mean, respectively, the Statutes and Ordinances of the University;

(m) "teacher" means a Professor, Associate Professor, Assistant Professor or such other person as may be appointed for imparting instruction or conducting research in the University or in a constituent college and includes the principal of a constituent college ;

(n) "University" means the **Gautam Buddha University** established under this Act.

(2) The words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Information Technology Act, 2000, shall have the respective meaning assigned to them in that Act.

CHAPTER-II

The University and its objects

Establishment of
the University

3. (1) The Education Society, which has been promoted by the New Okhla Industrial Development Authority and the Greater Noida Industrial Development Authority, shall have the right to establish the University in accordance with the provisions of this Act.

(2) The Education Society shall, for the purposes of establishing the University under this Act, fulfil the following conditions, namely :—

(a) acquire such area of land as the State Government may consider necessary for the establishment of the University ;

(b) create a permanent endowment fund, general fund and development fund for the purposes of this Act;

(c) arrange infrastructure and other facilities necessary for making the University functional;

(d) make the first Statutes and the first Ordinances; and

(e) such other conditions as may be required by the State Government to be fulfilled before the establishment of the University.

(3) Where the State Government is satisfied that the Education Society has fulfilled the conditions specified in sub-section (2), the State Government shall issue to the Education Society a certificate of authorisation for the establishment of the University.

(4) On receipt of the certificate of the authorisation under sub-section (3), the Education Society shall establish at the headquarters of District Gautam Buddha Nagar, the University by the name of Gautam Buddha University.

(5) The Chancellor, the Vice-Chancellor, members of the Board of Governors, members of the Board of Management and the Academic Council for the time being holding office as such in the University shall constitute a body corporate by the name of the University.

(6) On the establishment of the University under sub-section (4), the land and other movable and immovable properties acquired, created, arranged or built by the Education Society for the purposes of the University shall stand transferred to, and vest in, the University.

4. The University may have constituent colleges but shall have no power to admit any other college or institution to the privileges of affiliation.

No power to
affiliate any
institution

5. The University shall have the following powers, namely :—

Powers of the
University

(a) to provide for instructions in all branches of learning and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge;

(b) to institute and confer degrees or other academic distinctions;

(c) to hold examinations for, and to grant and confer degrees or other academic distinctions to, and on, persons, who—

(i) have pursued a course of study in the University or in a constituent college or under a distance education, or

(ii) have carried on research in the University or in a constituent college or under a distance education;

(d) to confer honorary degree or other academic distinctions in the manner and under conditions laid down in the Statutes;

(e) to institute and award fellowships, scholarships, studentships, exhibitions and prizes in accordance with the Statutes;

(f) to demand and receive such fees and charges as may be fixed by the Statutes or the Ordinances, as the case may be;

(g) to make provisions for the advancement of education in Information Technology and allied fields;

(h) to make provisions for extra curricular activities for students and employees;

(i) to make appointments of officers and employees of the University or a constituent college;

(j) to receive benefactions, donations and gifts and to acquire, hold, manage and dispose of any movable or immovable property, including trust and endowment properties for the purposes of the University or a constituent college;

(k) to institute and maintain halls and to recognise places of residence for students of the University or a constituent college;

(l) to supervise and control the residence, and to regulate the discipline, of the students of the University or a constituent college and to make arrangements for promoting their health;

(m) to create administrative, ministerial and other necessary posts;

(n) to co-operate or collaborate with other Universities in such manner and for such purposes as the University may determine from time to time;

(o) to provide distance education;

(p) to organise and conduct refresher courses, orientation courses, workshops, seminars and other programmes for teachers, evaluators and other academic staff;

(q) to determine standards of admission to the University or a constituent college;

(r) to lay down conditions of service of all categories of employees of the University or a constituent college;

(s) to borrow upon the security of the property of the University for the purposes of the University or a constituent college; and

(t) to do all such other acts or things, whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be necessary to further the objects of the University.

University open to
all classes, creeds
and Sex

6. The University shall be open to all persons irrespective of class, creed or sex :

Provided that the University shall in each branch of learning reserve twenty-three per cent of the seats for the students belonging to the Scheduled Castes and twenty-seven per cent of the seats for the students belonging to the other backward classes of citizens :

Provided further that nothing in this section shall be deemed to require the University or a constituent college to admit in any course of study a larger number of students than may be determined by the Statutes.

Residence of
Students

7. Every student of the University, other than a student who pursues a course of study by distance education, shall ordinarily reside in a hall under such terms and conditions as may be prescribed by the Ordinances.

CHAPTER-III

Officers of the University

Officers of the
University

8. The following shall be the officers of the University :—

(a) the Chancellor ;

(b) the Vice-Chancellor;

(c) the Pro-Vice-Chancellor;

(d) the Deans of Faculties;

(e) the Registrar;

(f) the Finance Officer; and

(g) such other officers as may be declared by the Statutes to be officers of the University.

The Chancellor

9. (1) The Chief Minister of Uttar Pradesh shall be *Ex-officio* Chancellor of the University.

(2) The Chancellor shall, by virtue of his office, be the head of the University.

(3) The Chancellor shall have such powers as may be conferred on him by this Act or the rules made thereunder.

(4) Every proposal for the conferment of an honorary degree or distinction shall be subject to the confirmation of the Chancellor.

(5) The Chancellor shall, if present, preside at the convocation of the University held for conferring degrees and may delegate to any officer of the University such of his powers as he may consider necessary.

10. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed, on such terms and conditions as may be prescribed, for a term of five years by the Chancellor from a panel of three persons recommended by the Committee constituted in accordance with the provisions of sub-section (2).

The Vice-Chancellor

(2) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of the following persons, namely :—

(a) one person nominated by the Chancellor,

(b) Director, Indian Institute of Technology, Kanpur;

(c) Principal Secretary or, as the case may be, the Secretary to the State Government in the Industrial Development Department;

(d) Two persons nominated by the Board of Governors one of whom shall also be appointed as the convenor of the Committee by the Board of Governors, and if none of the persons referred to in clauses (a), (b) and (c) belong to a Scheduled Caste, at least one of the persons nominated under this clause shall be from the Scheduled Caste.

(3) The Committee shall, on the basis of merit, prepare a panel of the names of three persons suitable to hold the office of the Vice-Chancellor and forward the same to the Chancellor along with a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each such person.

(4) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of the authorities of the University.

(5) Where any matter other than the appointment of a teacher is of urgent nature requiring immediate action and the same could not be immediately dealt with by any officer or the authority or other body of the University empowered by or under this Act to deal with it, the Vice-Chancellor may take such action as he may deem fit and shall forthwith report the action taken by him to the Chancellor and also to the officer, authority, or other body who or which in the ordinary course, would have dealt with the matter :

Provided that no such action shall be taken by the Vice-Chancellor without the previous approval of the Chancellor, if it would involve a deviation from the provisions of the Statutes or the Ordinances:

Provided further that if the officer, authority, or other body is of opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor who may either confirm the action taken by the Vice-Chancellor or annul the same or modify it in such manner, as he thinks fit and thereupon, it shall cease to have effect or, as the case may be, take effect in the modified form, so however, that such annulment or modification shall be without prejudice to the validity of anything previously done by or under the order of the Vice-Chancellor :

Provided also that any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section, shall have the right to appeal against such action to the Board of Management within three months from the date on which the decision on such action is communicated to him and thereupon, the Board of Management may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be laid down by the Statutes or the Ordinances.

- The Pro-Vice-Chancellor 11. A Pro-Vice-Chancellor may be appointed by the Vice-Chancellor in such manner to exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.
- Deans of Faculties 12. Deans of faculties shall be appointed by the Vice-Chancellor in such manner to exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.
- The Registrar 13. (1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed.
- (2) All contracts shall be entered into and signed by the Registrar on behalf of the University.
- (3) The Registrar shall have the power to authenticate records on behalf of the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed or may be required from time to time, by the Chancellor or the Vice-Chancellor.
- (4) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of the University and shall be bound to place before the Chancellor, the Vice-Chancellor or any other authority, all such information and documents as may be necessary for transaction of their business.
- The Finance Officer 14. The Finance Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed or may be required by the Chancellor, the Vice-Chancellor or the Registrar.
- Other Officers 15. The manner of appointment, terms and conditions of service and powers and duties of the other officers of the University shall be such as may be prescribed.

CHAPTER-IV

Authorities of the University

- Authorities of the University 16. The following shall be the authorities of the University, namely :—
- (a) The Board of Governors;
 - (b) The Board of Management;
 - (c) The Academic Council;
 - (d) The Finance Committee; and
 - (e) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.
- The Board of Governors and its powers 17. (1) The Board of Governors shall consist of,—
- (a) the Chancellor, who shall be the Chairperson thereof;
 - (b) the Vice-Chancellor who shall be the Member-Secretary;
 - (c) three persons, nominated by the Education Society, of whom one shall be from the Scheduled Castes and one from the other backward classes of citizens.
 - (d) Secretary to the State Government in the Industrial Development Department or his nominee not below the rank of Special Secretary to the State Government; and
 - (e) two academicians of which one shall be nominated by the Council for Technical Education and the other by the University Grants Commission.

(2) The Board of Governors shall be the principal governing body of the University and shall have the following powers, namely :—

(a) to review decisions of the other authorities of the University if they are not in conformity with the provisions of this Act, or the Statutes or the Ordinances;

(b) to approve the budget and annual report of the University;

(c) to lay down policies to be pursued by the University;

(d) to make new or additional Statutes or amend or repeal the first Statutes;

(e) to take decision about voluntary winding up of the University; and

(f) to approve proposals for submission to the State Government.

(3) The Board of Governors shall, from time to time, meet at the intervals not exceeding six months at such time and place as the Chancellor thinks fit.

18. (1) The Board of Management shall consist of,—

The Board of
Management

(a) the Vice-Chancellor;

(b) a nominee of the Council for Technical Education;

(c) three persons, nominated by the Education Society, of whom one shall be from the Scheduled Castes and one from the other backward classes of citizens;

(d) three professors of the University, each from different disciplines, by rotation on the basis of seniority;

(e) one professor from each faculty who shall be nominated by the Chancellor; and

(f) Secretary to the State Government in the Industrial Development Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary to the State Government.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Management.

(3) The Registrar shall be the Secretary of the Board of Management.

(4) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be prescribed.

19. (1) The Academic Council shall consist of,—

The Academic
Council

(a) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairperson;

(b) the Registrar, who shall be the Secretary, and

(c) such other members as may be prescribed.

(2) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the rules, the Statutes and the Act, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

20. (1) The Finance Committee shall consist of,—

The Finance
Committee

(a) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairperson;

(b) the Finance Officer;

(c) one officer not below the rank of Special Secretary to the State Government nominated by the State Government; and

(d) such other members as may be prescribed;

(2) The Finance Committee shall be the principal financial body of the University to take care of financial matters and shall, subject to the provisions of this Act, the rules, the Statutes and the Ordinances, co-ordinate and exercise general supervision over the financial matters of the University.

Other Authorities

21. The constitution, powers and functions of the other authorities of the University shall be such as may be prescribed.

Proceedings not to be invalidated on account of vacancy

22. No Act or proceeding of any authority of the University shall be invalid merely by reason of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the authority.

CHAPTER-V

Statutes and Ordinances

Statutes

23. Subject to the provisions of this Act, and the rules, the Statutes may provide for any matter relating to the University and shall, in particular, provide for,—

- (a) the procedure for transaction of business of the authorities of the University and the composition of bodies not specified in this Act;
- (b) the operation of the permanent endowment fund, the general fund and the development fund;
- (c) the terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor, the Registrar and the Finance Officer and their powers and functions;
- (d) the mode of recruitment and the conditions of service of the other officers, teachers and employees of the University;
- (e) the procedure for resolution of disputes between the University and its officers, faculty members, employees and students;
- (f) creation, abolition or restructuring of departments and faculties;
- (g) the manner of co-operation with other Universities or institutions of higher learning;
- (h) the procedure for conferment of honorary degrees;
- (i) provisions regarding grant of freeships and scholarships;
- (j) number of seats in different courses of studies and the procedure of admission of students to such courses including reservation of seats;
- (k) the fee chargeable from students for various courses of studies;
- (l) institution of fellowships, scholarships, studentships, freeships, medals and prizes;
- (m) procedure for creation and abolition of posts; and
- (n) other matters which are to be or may be prescribed.

First Statutes how made

24. The first Statutes shall be made by the Education Society and the Statutes so made shall be submitted to the State Government for its approval which may give its approval with or without modification.

Power to amend the Statutes

25. The Board of Governors may, with the prior approval of the State Government, make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes.

26. Subject to the provisions of this Act, the rules and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) admission of students to the University and their enrolment and continuance as such;

(b) the courses of study to be laid down for all degrees and other academic distinctions of the University;

(c) the award of degrees and other academic distinctions;

(d) the conditions of the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(e) the conduct of examinations and the conditions and mode of appointment and duties of examining bodies, examiners, invigilators, tabulators and moderators;

(f) the fee to be charged for admission to the examinations, degrees and other academic distinctions of the University;

(g) the conditions of residence of the students at the University or a constituent college;

(h) maintenance of discipline among the students of the University or a constituent college;

(i) all other matters which by this Act, the rules or the Statutes, may be provided for by the Ordinances.

27. (1) The first Ordinances shall be made by the Education Society and the Ordinances so made shall be submitted to the State Government for its approval, which may within two months from the date of receipt of the first Ordinances, give its approval with or without modification.

(2) Where the State Government fails to take any decision with respect to the approval of the first Ordinances within the period specified under sub-section (1), it shall be deemed that the State Government has approved the first Ordinances.

28. The Academic Council may, with the approval of the Board of Management, make new or additional Ordinances or amend or repeal the Ordinances, subject to the approval of the State Government.

CHAPTER-VI

Miscellaneous

29. (1) Every employee shall be appointed under a written contract, which shall be lodged with the University and a copy of which shall be furnished to the employee concerned.

(2) Any dispute arising out of the contract between the University and an employee shall, at the request of the employee, be referred to a tribunal of arbitration consisting of one member appointed by the Board of Management, one member nominated by the employee concerned and an umpire appointed by the Chancellor.

(3) The decision of the tribunal in such matter shall be final.

(4) The procedure for regulating the work of the tribunal shall be such as may be prescribed.

30. (1) Any student or candidate for an examination whose name has been removed from the rolls of the University or a constituent college by the orders of the Vice-Chancellor or the principal or by the resolution of the Academic Council, as the case may be, and who has been debarred from appearing at the examination of the University for more than one year, may, within ten days of the date of receipt of such order or copy of such resolution, appeal to the Board of Management which may confirm, modify or reverse the decision of the Vice-Chancellor, the Academic Council or the principal, as the case may be.

Ordinances

First Ordinances

Power to amend Ordinances

Conditions of service of employees

Procedure of appeal and arbitration in disciplinary cases against students

(2) Any dispute arising out of any disciplinary action taken by the University against a student shall, at the request of such student, be referred to a tribunal of arbitration and the provisions of sub-sections (2) to (4) of section 29 shall, *mutatis mutandis*, apply to a reference made under this sub-section.

Right to appeal

31. Every employee or student of the University or of a constituent college shall, notwithstanding anything contained in this Act, have a right to appeal within such time as may be prescribed, to the Board of Management against the decision of any officer or authority of the University or of the principal of any such college, as the case may be, and thereupon the Board of Management may confirm, modify or reverse the decision appealed against.

Provident and pension funds

32. The University shall constitute for the benefit of its employees such provident or pension fund and provide such insurance scheme as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

Disputes as to constitution of University authorities and bodies

33. If any question arises as to whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be, a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

Constitution of committees

34. Where any authority of the University is given power by this Act or the Statutes to appoint committees, such committees shall, save as otherwise provided, consist of any or all the members of the authority concerned and of such other persons, if any, as the authority in each case may think fit.

Filling of casual vacancies

35. Any casual vacancy among the members, other than *ex-officio* members, of any Authority or body of the University shall be filled in the same manner in which the member whose vacancy is to be filled up, was chosen, and the person filling the vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.

Protection of action taken in good faith

36. No suit or other legal proceedings shall lie against any officer or other employee of the University for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act, the Statutes or the Ordinances.

Transitory provisions

37. Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act and the Statutes :—

(a) the first Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor and the said officer shall hold office for a term of five years ;

(b) the first Registrar and the first Finance Officer shall be appointed by the Chancellor who shall hold office for a term of three years;

(c) the first Board of Governors shall consist of not more than eleven members who shall be nominated by the Chancellor and they shall hold office for a term of three years; and

(d) the first Board of Management, the first Finance Committee and the first Academic Council shall be constituted by the Chancellor for a term of three years.

Permanent endowment fund

38. (1) The University shall establish a permanent endowment fund of at least rupees ten crores which may be increased by notification issued in this behalf by the State Government, from time to time.

(2) The University shall have the power to invest the permanent endowment fund in such manner as may be prescribed.

(3) The University may transfer any amount from the general fund or the development fund to the permanent endowment fund.

(4) Any amount exceeding the minimum amount specified in sub-section (1) may be withdrawn from the permanent endowment fund by the University for the purposes of development of the University.

39. (1) The University shall establish a general fund to which the following amount shall be credited, namely :—

General funds

(a) all fees which may be charged by the University;

(b) all sums received from any other source;

(c) all contributions made by the Education Society; and

(d) all contributions made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for the time being in force.

(2) The moneys credited to the general fund shall be applied to meet all the recurring expenditure of the University.

40. (1) The University shall also establish a development fund to which following moneys shall be credited, namely :—

Development fund

(a) development fees which may be charged from students;

(b) all sums received from any other source for the purposes of the development of the University;

(c) all contributions made by the Education Society;

(d) all contributions made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for the time being in force; and

(e) all incomes received from the permanent endowment fund.

(2) The moneys credited to the development fund from time to time shall be utilised for the development of the University.

41. The funds established under sections 38, 39 and 40 shall, subject to general supervision and control of the Board of Governors, be regulated and maintained in such manner as may be prescribed.

Maintenance of funds

42. (1) The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and shall be submitted to the Board of Governors for its approval.

Annual report

(2) The Board of Governors shall consider the annual report in its meeting and may approve the same with or without modification.

(3) A copy of the annual report duly approved by the Board of Governors shall be sent to the State Government.

43. (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and all moneys accruing to or received by the University from whatever source and all amount disbursed or paid shall be entered in the accounts maintained by the University.

Accounts and audit

(2) The annual accounts and the balance sheet of the University shall be audited by such auditor and at such intervals as may be prescribed.

(3) A copy of the annual accounts and the balance sheet together with the audit report shall be submitted to the Board of Governors.

(4) The annual accounts, the balance sheet and the audit report shall be considered by the Board of Governors at its meeting and the Board of Governors shall forward the same to the State Government along with its observations thereon.

Mode of proof of
University
record

44. A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding or resolution of any authority or committee of the University or other documents in possession of the University or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as *prima facie* evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding, resolution or document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transaction therein recorded where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.

Dissolution of
Education
Society

45. (1) If the Education Society proposes its dissolution in accordance with the law governing its constitution or incorporation, it shall give at least six months written notice to the State Government.

(2) On receipt of the notice referred to in sub-section (1), the State Government shall make such arrangements for administration of the University from the date of dissolution of the Education Society and until the last batch of students in regular Courses of studies of the University complete their courses of studies in such manner as may be prescribed by the rules.

Expenditure of
the University
during
dissolution of
Education
Society

46. (1) The expenditure for administration of the University during the taking over period of its management under section 45 shall be met out of the permanent endowment fund, the general fund or the development fund.

(2) If the funds referred to in sub-section (1) are not sufficient to meet the expenditure of the University during the taking over period of its management, such expenditure may be met by disposing of the properties or assets of the University by the State Government.

Power to issue
directions

47. The State Government shall have the following powers also, namely :—

(a) to issue direction with respect to any matter required to be done by the University by or under this Act or the rules, the Statutes or the Ordinances made thereunder; and

(b) to order framing of Statutes on any subject.

Winding up of
the University
by the State
Government

48. (1) Where the State Government is satisfied that any of the directions given by it to the University under this Act is not complied with, or, on receipt of a complaint with respect to mismanagement of the University it shall require the University to show cause within such time as it may deem proper, but which shall not be less than one month, as to why the University should not be wound up.

(2) If, upon receipt of the reply of the University to the notice given under sub-section (1), the State Government is satisfied that a *prima facie* case of mismanagement or violation of the provisions of this Act, the rules, the Statutes, the Ordinances or any direction issued thereunder is made out, it shall order such inquiry as it deems necessary.

(3) For the purposes of an inquiry under sub-section (2), the State Government shall, by notification, appoint an officer or authority as the inquiring authority to inquire into and report upon the allegations of mismanagement, violation of the provisions of this Act, the rules, the Statutes, the Ordinances or any direction issued thereunder.

(4) Where the State Government considers it necessary or expedient to suspend the Board of Governors or the Board of Management for the purposes of an inquiry with respect to the affairs of the University, it may, by notification, order the suspension of the Board of Governors or the Board of Management, as the case may be, and make such arrangement for the administration of the University as it considers necessary till the conclusion of the inquiry.

(5) Every inquiring authority appointed under sub-section (3) shall, while performing its functions under this Act, have all the powers of a Civil Court trying a suit and in particular in respect of the following matters, namely :—

- (a) summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of any document;
- (c) requisitioning any public record or copy thereof from any office;
- (d) receiving evidence on affidavits;
- (e) any other matter which may be prescribed by the rules.

(6) If, upon receipt of the inquiry report, the State Government is satisfied that the University has been mismanaged or has violated any provisions of this Act, the rules, the Statutes, the Ordinances or any direction issued thereunder it may, by notification, order winding up of the University.

(7) While issuing a notification under sub-section (6) the State Government shall make further arrangements for the administration of the affairs of the University, till current courses of study are over.

(8) During the period of management of the University under sub-section (7), the State Government may utilise the permanent endowment fund, the general fund or the development fund for the purposes of the management of the affairs of the University. If the funds of the University are not sufficient to meet the requisite expenditure of the University, the State Government may dispose of the assets or properties of the University to meet the said expenses.

(9) Every notification under sub-section (6) shall be laid before both Houses of the State Legislature.

49. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

Power to make rules

50. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notified order, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty :

Removal of difficulties

Provided that no order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of three years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before both the Houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

By order,
A.B. SHUKLA,
Pramukh Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Keeping in view the present day International Scenario in Science, Information Technology, International Law, Buddhist studies and subjects related to weaker section of the Society, establishment of a university which shall provide for instruction in all such branches of learning and to make a provision for research and dissemination of knowledge, has become necessary. It is proposed to create a center of excellence, which will provide for higher level learning facilities and ensure facilities for research and advancement in those fields. Gautam Budh Nagar with various infrastructural facilities of the highest order was found to be most suitable place for opening of such a university in the name of **Gautam Budh Vishvavidyalaya**. Since It was not possible for the State Government with its limited Financial resources to establish such a university, it was decided to establish the same sponsored by Gautam Budh Education Society duly registered under the Society Registration Act 1860. The said Society shall be promoted by the New Okhala Industrial Development Authority and Greater New Okhala Industrial Development Authority for purposes of creating the required necessary infrastructure for this university.

The Uttar Pradesh Gautam Buddha University Bill, 2002 is introduced accordingly.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 29 अगस्त, 2008

भाद्रपद 7, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1725/79-वि-1-08-1(क)23-2008

लखनऊ, दिनांक 29 अगस्त, 2008

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 27 अगस्त, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2008)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008 संक्षिप्त नाम कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 9
सन् 2002 की धारा
10 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 10 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

“(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

(क) कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति;

(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या भारतीय प्रबन्धकीय संस्थान का निदेशक (पदारूढ़ या सेवानिवृत्त);

(ग) औद्योगिक विकास आयुक्त, या यथास्थिति, प्रमुख राचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;

(घ) व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति, जिनमें से एक को व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा समिति के संयोजक के रूप में भी नियुक्त किया जायेगा और यदि खण्ड (क) (ख) और (ग) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का नहीं है तो इस खण्ड के अधीन नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कम से कम एक व्यक्ति अनुसूचित जाति से होगा।”

धारा 13 का
संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

“1-कुलसचिव की नियुक्ति प्रबन्ध बोर्ड द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी जैसी विहित की जाय।”

धारा 14 का
संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

“14-वित्त अधिकारी प्रबन्ध बोर्ड द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जैसी विहित की जाय या कुलाधिपति, कुलपति या कुलसचिव द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों।”

धारा 17 का
संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (1) में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

“(क) अध्यक्ष, गौतमबुद्ध शिक्षा सोसायटी, जो उसका अध्यक्ष होगा।”

धारा 29 का
संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 29 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

“(1) प्रथम चरण में प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जायेगी।”

धारा 38 का
संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 38 में, उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

“(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी जो विश्वविद्यालय के आवर्ती/अनावर्ती व्ययों को पूरा करने के लिए सामान्य निधि के नामे डाली जायेगी।”

धारा 40 का
संशोधन

8-“मूल अधिनियम की धारा 40 में, उपधारा (1) में खण्ड (ड) निकाल दिया जायगा।”

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित एक विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2002) बनाया गया है। विश्वविद्यालय के प्रशासन को अपेक्षाकृत अधिक दक्ष बनाने की दृष्टि से जिससे कि इसे उत्कृष्ट विश्वविद्यालय बनाया जा सके मुख्यतः निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है:-

- (क) कुलपति की नियुक्ति हेतु समिति के गठन में परिवर्तन करना ;
- (ख) कुलाधिपति के स्थान पर प्रबंध बोर्ड द्वारा कुल सचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति करना ;
- (ग) गौतमबुद्ध शिक्षा सोसाइटी के अध्यक्ष को कुलाधिपति के स्थान पर व्यवस्थापक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाना;
- (घ) ऐसे कर्मचारियों को विनियमित किया जाना जिन्होंने संविदा के आधार पर अपनी नियुक्ति के दौरान संतोषजनक कार्य किया हो;
- (ङ) विन्यास निधि का ब्याज विकास निधि के स्थान पर सामान्य निधि के नामे डालना।

2- तदनुसार उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

सै० मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR VIDHAI ANUBHAG-1

No. 1725(2)/LXXIX-V-1-1(ka)23-2008
Dated Lucknow, August 29, 2008

NOTIFICATION MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Gautambudha Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 2008) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 27, 2008:-

THE UTTAR PRADESH GAUTAM BUDDHA UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2008

(U. P. Act No. 21 of 2008)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Gautam Buddha University Act, 2002.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows :-

1.This Act may be called the Uttar Pradesh Gautam Buddha University
(Amendment) Act, 2008.

Short title

Amendment of
section 10 of
U.P. Act no. 9
of 2002

2. In section 10 of the Uttar Pradesh Gautam Buddha University Act, 2002 hereinafter referred to as the principal Act, for sub-section (2) the following sub-section shall be *substituted* namely :-

“(2) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of the following persons, namely :-

(a) one person nominated by the Chancellor,

(b) the Director (sitting or retired) of an Indian Institute of Technology or an Indian Institute of Management.

(c) the Industrial Development Commissioner or, as the case may be, the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Industrial Development Department;

(d) Two persons nominated by the Board of Governors one of whom shall also be appointed as the convener of the Committee by the Board of Governors. And if none of the persons referred to in clauses (a), (b) and (c) belong to the Scheduled Castes, at least one of the persons nominated under this clause shall be from the Scheduled Castes.”

Amendment of
section 13

3. In section 13 of the Principal Act, for sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted* namely :-

“(1) The Registrar shall be appointed by the Board of Management in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed.”

Amendment of
section 14

4. For section 14 of the Principal Act, the following section shall be *substituted* namely :-

“14-The Finance Officer shall be appointed by the Board of Management in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed or may be required by the Chancellor, the Vice-Chancellor or the Registrar.”

Amendment of
section 17

5. In section 17 of the principal Act, in sub-section (1) for clause (a) the following clause shall be *substituted* namely :-

“(a) the President of Gautam Buddha Education Society who shall be the Chairperson thereof;”

Amendment of
section 29

6. In section 29 of the principal Act, for sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted* namely :-

“(1) Every employee in the first instance shall be appointed under a written contract, which shall be lodged with the University and a copy of which shall be furnished to the employee concerned.”

7. In section 38 of the principal Act, *for* sub-section (4) the following sub-section shall be *substituted* namely:—

Amendment of
section 38

“(4) Any amount exceeding the minimum amount specified in sub-section (1) may be withdrawn from the permanent endowment fund by the University to be credited to the general fund to meet the recurring/nonrecurring expenses of University.”

8. In section 40 of the Principal Act, in sub-section (1) clause (e) shall be *omitted*.

Amendment of
section 40

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Gautam Buddha University Act, 2002. (U.P. Act no. 9 of 2002) has been enacted to provide for the establishment and incorporation of a University sponsored by the New Okhla Industrial Development Authority and the Greater Noida Industrial Development Authority in the State of Uttar Pradesh. With a view to making the administration of the University more efficient, so as to make it an institution of excellence, it has been decided to amend the said Act mainly to provide for,—

(a) changing the Constitution of committee for the appointment of vice-chancellor ;

(b) appointment of the Registrar and the Finance Officer by the Board of management instead of the chancellor ;

(c) making the President of the Gautam Buddha Education Society as the Chair-Person of the Board of Governors instead of the Chancellor ;

(d) regularisation of such employees as have worked satisfactorily during their appointment on contract basis ;

(e) crediting of the interest of Endowment Fund to the General Fund instead of the Development Fund.

2. The Uttar Pradesh Gautam Buddha University (Amendment) Bill, 2008 is introduced accordingly.

By order,
S. M. A. ABIDI,
Pramukh Sachiv.